न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा, जिला – उदयपुर (राज.)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या :– 39 / 2019

दायर दिनांकः– 06.12.2019
फैसल दिनांकः– 29.01.2020

श्री बाबुलाल (बाबुराम) पुत्र श्री दीताराम जाति भील उम्र–61 वर्ष पेशी कृषि निवासी नानकी पादरा, पटवार हल्का हर्षावाडा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जयपुर जरिये भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

विपक्षी

वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1956 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति वादी अधिवक्ता :–
श्री [illegible] मीणा
[illegible]

–:: निर्णय ::–

एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के संयुक्त खाते [illegible] की पुश्तैनी भूमि मौजा ग्राम पादरा नानकी पटवार हल्का हर्षावाडा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर में स्थित है जिनमें प्रार्थी का नाम बाबुराम के स्थान पर बाबुलाल दर्ज किया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार है –

1. मौजा ग्राम पादरा नानकी पटवार हल्का हर्षावाडा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर के जमाबंदी संवत् 2075–78 के खाता संख्या नई 26 पुरानी 25 में कुल किता 14 आराजीयात कुल रकबा 2.35 हैक्टर एवं कुल लगान 4.08 पैसा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि की आराजीयात निम्न प्रकार है –

पादरा, पटवार हल्का हर्षावाडा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जयपुर जरिये भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

विपक्षी

वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान अभिघृति अधिनियम 1956 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति वादी अधिवक्ता :–
श्री लक्ष्मणलाल मीणा
सूर्या दरंगा

–:: निर्णय ::–

एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि मौजा ग्राम पादरा नानकी पटवार हल्का हर्षावाडा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर मे स्थित है जिनमें प्रार्थी का नाम बाबुराम के स्थान पर बाबुलाल दर्ज किया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार है –

1. मौजा ग्राम पादरा नानकी पटवार हल्का हर्षावाडा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर के जमाबंदी संवत् 2075–78 के खाता संख्या नई 26 पुरानी 25 में कुल किता 14 आराजीयात कुल क्षेत्रफल 2.35 हैक्टर एवं कुल लगान 4.08 पैसा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि की आराजीयात निम्न प्रकार है :–

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	लगान
682	0.48	बा. I I I	0.48
683	0.04	बा. I I I	0.07
684	0.07	बा. I I I	0.12
685	0.03	बा. I I I	0.05
686	0.01	बा. I I I	0.02
687	0.04	बा. I I I	0.07
688	0.20	बा. I I I	0.35

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधि
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

313	0.07	बा.।।।	0.12
314	0.03	बा.।।।	0.05
315	0.02	बा.।।।	0.03
317	1.14	बा.।।।	1.98
318	0.04	बा.।।।	0.07
319	0.15	बा.।।।	0.26
320	0.03	बा.।।।	0.05
योग	2.35		4.08

यह कि उपर वर्णित भूमि प्रार्थी के पिता दीताराम के नाम दर्ज थी। वादी के पिताजी के निधन के बाद में उनके खाते, मालिकाना हक एवं कब्जे की उपर वर्णित कृर्षि भूमि का वारिसान हक से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। वारिसान हक से नामान्तरकरण को स्वीकृत करते वक्त वादी का घरेलु नाम बाबुराम नामान्तरकरण में अंकित कर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। उक्त घरेलु नाम बाबुराम नामान्तरकरण में अंकित होने से तब से आज तक की जमाबंदी में वादी का नाम बाबुराम अंकित चला आ रहा है। वादी ने दसवी तक पढाई की है। पढाई के स्कूल एवं रेकार्ड में वादी का नाम बाबुलाल दर्ज किया हुआ है। वादी के परिचय पत्र, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह, राशनकार्ड एवं अन्य कागजात में भी वादी का नाम बाबुलाल भील दर्ज है। वादी की संतानो के विद्यालय रेकार्ड में वादी का नाम बाबुलाल भील दर्ज है।

बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थीगणों के वकील ने भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खेरवाडा की बैक पासबुक, आधार कार्ड आदि पेश किया जिसमें प्रार्थी का नाम बाबुलाल अंकित है।

अतः सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन बहस एवं मनन के पश्चात् प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि ग्राम पादरा [illegible] पटवार हल्का हर्षावाडा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर के जमाबंदी संवत् 2075–78 [illegible] खाता संख्या नई 26 पुरानी 25 में प्रार्थी का नाम बाबुराम के स्थान पर बाबुलाल [illegible] का आदेश जारी किया जाकर डिक्री [illegible] जारी किया जाता है। [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	
योग	2.35		[illegible]

यह कि उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी के पिता दौलाराम के नाम दर्ज थी। वादी के पिताजी के निधन के बाद में उनके खाते, मालिकाना हक एवं कब्जे की उक्त वर्णित कृषि भूमि का वारिसान हक से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। वारिसान हक से नामान्तरकरण को स्वीकृत करते वक्त वादी का घरेलु नाम बाबुराम नामान्तरकरण में अंकित कर नामान्तरकरन स्वीकृत कर दिया गया। उक्त घरेलु नाम बाबुराम नामान्तरकरण में अंकित होने से तब से आज तक की जमाबंदी में वादी का नाम बाबुराम अंकित चला आ रहा है। वादी ने दसवी तक पढाई की है। पढाई के स्कूल एवं रेकार्ड में वादी का नाम बाबुलाल दर्ज किया हुआ है। वादी के परिचय पत्र, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह, राशनकार्ड एवं अन्य कागजात में भी वादी का नाम बाबुलाल भील दर्ज है। वादी की संतानो के विद्यालय रेकार्ड में वादी का नाम बाबुलाल भील दर्ज है।

बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थीगणों के वकील ने भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खेरवाडा की बैक पासबुक, आधार कार्ड आदि पेश किया जिसमें प्रार्थी का नाम बाबुलाल अंकित है।

अतः सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन बहस एवं मनन के पश्चात् प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि ग्राम पादरा नानकी पटवार हल्का हर्षावाडा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर के जमाबंदी संवत् 2075–78 के खाता संख्या नई 26 पुरानी 25 में प्रार्थी का नाम **बाबुराम के स्थान पर बाबुलाल शुद्धिकरण** कर आदेश जारी किया जाकर डिक्री पर्चा जारी किया जाता है। तहसीलदार खेरवाडा निर्णय अनुसार पालना करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार हो नम्बर से कम होवे।

(अनिल कुमार RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)